राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 15(6)कार्मिक/क–2/86 जयपुर, दिनांकः– 25.01.2010

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
   विशिष्ठ शासन सचिव/शासन उप सचिव
3. समस्त विभागाध्यक्ष(संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित)

परिपत्र

विषयः– बोर्ड/कमेटी में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं को प्रतिनिधित्व।

राज्य सरकार के अधीन कतिपय अधीनस्थ सेवाओं एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित सेवा नियमों में चयन समितियों का गठन किया गया है। इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23.10.2002 एवं यथासंशोधित परिपत्र दिनांक 25.11.2009 द्वारा सभी नियुक्ति अधिकारियों को यह निदेश प्रदान किये गये थे कि ऐसे पदों पर भर्ती के समय गठित चयन समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ही अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के एक सदस्य को तथा एक महिला सदस्य को भी जहां तक सम्भव हो, प्रतिनिधित्व दिया जावे। यदि किसी सेवा विशेष में किसी भी संवर्ग से कोई भी महिला सदस्य सेवारत नहीं हो तो किसी भी अन्य सेवा की एक महिला अधिकारी का सहवरण (Coopt) कर लिया जावे।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारी से पुनः आग्रह किया जाता है कि उक्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।

(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

5/2010